BSES Yamuna Power Limited
a joint venture with GONCTD
संवाद
www.facebook.com/bsesdelhi https://twitter.com/BSESDELHI
मार्च - 2023

सुरक्षा अलर्टः

अपनी सुरक्षा के लिए बिजली के उपकरणों से दूरी बनाए रखें

दिल्ली में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है। कई ऐसी कॉलोनियां हैं, जहां, कई घर और अनाधिकृत निर्माण/ विस्तार खतरनाक तरीके से बिजली कंपनियों के वर्तमान लो वोल्टेज (एलवी), हाई वोल्टेज (एचवी), और एक्सट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) लाइनों तथा बिजली उपकरणों/ स्थापनाओं के काफी करीब व नीचे आ गए हैं। यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा व बिजली आपूर्ति संबंधी उपायों) अधिनियम 2010 (जैसा कि उसमें समय–समय पर संसोधन होता रहता है) की नियमावली 60 और 61 तथा इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 2003 की धारा 53 व 68 (5) जिसे धारा 161 के साथ पढ़ा जाए, के मानकों का सीधा उल्लंघन है।

यह जरूरी है भवन एक्सटेंशंस, ढांचों, प्रोजेक्शंस, बालकनियों, छज्जों व चारदीवारियों, आदि को बिजली के मेन्स व बिजली के अन्य उपकरणों से, ऊपरी या समतल स्तर पर निम्नलिखित न्यूनतम दूरी अवश्य रखी जाए, जैसे कि नियमावलियों में बताया गया है।

लाइन/ उपकरण	न्यूनतम उचित दूरी जहां लाइन किसी भवन/ढांचे/ बालकनी आदि के ऊपर से गुजरती है	न्यूमतम समतल दूरी जहां लाइन किसी बिल्डिंग/ ढांचे/ बालकनी आदि के निकट से गुजरती है
650 वोल्ट तक की लाइन	उच्चतम पॉइंट से 2.5 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
उच्च वोल्टेज लाइन 650 वोल्ट तक व सहित	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
उच्च वोल्टेज लाइन 11000 वोल्ट से अधिक तथा 33000 वोल्ट तक व सहित	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 2 मीटर
बहुत ज्यादा उच्च वोल्टेज लाइन 33 केवी वोल्ट से ऊपर	3.7 मीटर (और 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग पर)	2 मीटर (और 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33 केवी या उसके भाग पर)

आपकी सुरक्षा के लिए तथा दुर्घटनाओं, जानलेवा दुर्घटनाओं तथा बिजली आपूर्ति संबंधी बाधाओं से बचने के लिए ये नियम बनाए गए हैं।

बीएसईएस एक बार फिर ऐसे अनाधिकृत निर्माण करने वाले या पहले से ही किये हुऐ लोगों से अपील करती है कि वे बिजली के मेन्स और इंस्टलेशंस के पास से अनाधिकृत निर्माणों को तुरंत हटा लें। निर्धारित नियमावलियों का उल्लंघन करने वाले उल्लंघनकर्ता, प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी नुकसान (जीवन, संपत्ति, आदि से संबंधित) के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार समझे जाएंगे, और कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई होगी।

ईवी क्रांति को गति देने के लिए बीएसईएस के साथ साझेदारी करें

अब आप अपने घर पर या सेमी–पब्लिक प्लेसेज जैसे कि दुकान, क्लब, आरडब्ल्यूए ऑफिस, आदि में बिल्कुल परेशानी–मुक्त तरीके से और सिंगल विंडो सिस्टम के तहत, डिस्कॉम्स के पैनल वाले वेंडरों से ईवी चार्जिंग स्टेशन लगवा सकते हैं। यही नहीं, दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत, आप आकर्षक सरकारी सब्सिडी' के पात्र भी हो सकते हैं।

उपभोक्ताओं के लिए फायदाः

- न्यूनतम कीमत
- सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म
- ईवी पॉलिसी के तहत सब्सिडी
- सुविधाजनक भुगतान प्लान
  - 0 उसी वक्त (कैपेक्स) भुगतान
  - 0 सब्सक्रिप्शन प्लान (36 महीने)

आवेदन करना आसान। अधिक जानकारी के लिए कृपया 19122 पर कॉल करें

फीडबैक
अपने फीडबैक व सुझाव भेजेंः कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़डूमा, दिल्ली–110032
सीआईएनः CIN:U40109DL2001PLC111525, फोनः 11-4124-7111/4124-9273
ईमेलः bypl.feedback@relianceada.com, वेबसाइटः www.bsesdelhi.com

मोबाइल ऐप, टोल फ्री और हेल्पलाइन नंबरों जैसे सुविधाजनक माध्यमों से बिजली गुल की शिकायत दर्ज कराएं

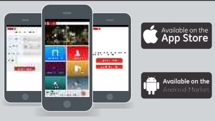

टॉल फ्री 24x7
19122

एसएमएस
5616108

बिजली चोरी संबंधी
8588892156

बिजली गुल की शिकायत
8745999808

स्ट्रीटलाइट
41999808

बीवाईपीएल, शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़डूमा, दिल्ली – 110032 के लिए फ्रेंड्स कलर इमेजेस प्राइवेट लिमिटेड, 148, सेक्टर 4, आईएमटी मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा – 122050 द्वारा मुद्रित